Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850
Impact Factor : 3.1560(UIF)
Volume-5 | Issue-2 | March-2015
Available online at www.lbp.world

DR BR AMBEDKAR & INDIAN CONSTITUTION

Sunita Chauhan
Asstt, Prof, (Political Science) , Govt. P.G. College Naraingarh (Ambala).

" राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति नस्ल रंग का अंतर भुला कर उसमें सामाजिक भातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए " डॉक्टर बी . आर. अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा अपने समय की सबसे अलग व क्रांतिकारी विचारधारा है। उनका निर्विवाद रुप से आग्रह है कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को गुणों के आधार पर उन्नति करने का अधिकार है । यदि कोई सामाजिक व्यवस्था उसे इस अधिकार से वंचित करती है तो उसे खंडित कर दिया जाना चाहिए । भारतीय संविधान विश्व का न केवल विस्तृत संविधान है बल्कि स्वतंत्रता समानता भातृत्व भाव का संपूर्ण विश्व के प्रमुख एक अनूठा उदाहरण है। जिसमें विश्व के प्रमुख संविधान के प्रावधानों को इकट्ठा करके एक संपूर्ण व्यापक संविधान की रचना की । राजनीति व धार्मिक शोषण की समाप्ति के लिए क्रांति का जय घोष किया । अछूतों को भारत के शासन में शासक बनाने की भविष्यवाणी को पूरा किया । भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, एवं 20 जहां संपूर्ण मानवता के उत्थान के वादे को पूरा करते हैं वही 330, 332, 335, एवं 336 दबे-कुचले व शोषित वर्ग को राजनीतिक व सामाजिक रुप से जागरुक व सशक्त बनाते हैं। सबसे पहला संविधान व सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है । विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान भारत का है जिसमें 12 अनुसूचियांवह 448 अनुच्छेद है ।

संविधान का निर्माता या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है । हालांकि मसौदा समिति में 7 सदस्य थे जो सभी वकील थे । जिस कारण (Drafting committee) समिति को Lawyers Paradise भी कहा गया। आलोचनाओं को झेलते हुए संविधान पर उधार लिए गए (Bag of Borrowing) का ठप्पा भी लगा । लेकिन एक आदर्श संविधान जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय में बना पूरे विश्व में एक आदर्श संविधान है । यदि सभी की अच्छी बातों को ग्रहण किया जाए , तो यह नकल नहीं अनुसरण है । किसी सिद्धांत पर चलते हुए इंग्लैड से कानून के समक्ष समानता व संसदीय प्रजातंत्र जैसे सिद्धांत लिए गए । अमेरिका से संघात्मक शासन प्रणाली व मौलिक अधिकार ग्रहण किए गये । आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांत व जर्मनी के वाईमर संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई । कनाडा से यूनियन शब्द लिया गया । संविधान बनाने के लिए पहले संपूर्ण विश्व के प्रमुख संविधानों का अध्यन किया गया था ताकि भारत का संविधान अपने आप में एक अनोखा व आदर्श संविधान बन सके । हमारा संविधान कठोर व लचीलेपन का एक अद्भुतमिश्रण है । हमारा संविधान अगर हम कठोर होते तो आज तक लगभग 100 संशोधन भी न होते । इन संशोधनों का अभिप्राय यही है कि हमने अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल

लिया है । जो हमारी सबसे बडी ताकत है । देश की 125 करोड़ आबादी का संविधान में विश्वास उसे अधिक गौरवशाली बनाता है । जिस में लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा को मजबूत किया है " जनता का, जनता के लिए , जनता द्वारा "

संविधान सभा का गठन :--

भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में एम एन रॉय ने रखा | एम एन रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे|1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रुप से संविधान सभा के गठन की मांग की |

कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ| संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई| फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिंहा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया | बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए| संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतो के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे | 28 अप्रैल 1947 को छह राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे | 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली | भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए | संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया | इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी | इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति । इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी ।जिसके सात सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है :--

1. डॉक्टर बी आर अंबेडकर अध्यक्ष
2. एन गोपाल स्वामी आयंगर
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
4. डॉक्टर के एम मुंशी
5. सय्यद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन माधवराव (इन को ए बी एल मित्र की जगह शामिल किया गया जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था)
7. टी टी कृष्णमाचारी (इन्हें 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद शामिल किया गया)

2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की अनेक बैठकें हुई । संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख का खर्चा आया । 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया । 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना , 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी । प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया । नए कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप को रखा । उन्होंने सभा के कार्यकलापो में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है । उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है । इस महान लेखक संविधान विशेषज्ञ अनुसूचितजातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है । संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस दिन को संविधान की शुरुआत के

लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है । इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हु एसंकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया ।

भारतीय संविधान की विशेषताएं : --

भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्‌वितीय है । हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं । भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व है जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं । इसके वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हु एहैं । विशेष रुप से 7वें, 42वें, 48वें, 73 वें, 74वें तथा 97 वें संशोधनों में. संविधान में कई बड़े परिवर्तन वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को Mini Constitution कहा जाता है । हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संविधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती |

1. सबसे लंबा लिखित संविधान
2. कठोर और लचीलेपन का मिश्रण
3. एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका
4. मौलिक अधिकार
5. प्रभुसत्ता संपन्न
6. संघीय व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ कानून के समक्ष समानता
7. धर्मनिरपेक्ष
8. समानता स्वतंत्रता भ्रातृ त्व
9. संसदीय प्रजातंत्र
10. अनुसूचितजातियों वह पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था

सबसे लंबा लिखित संविधान :--

संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, 1. लिखित संविधान जैसे अमेरिकी संविधान 2. अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान

भारत के संविधान को विस्तृ तबनाने के चार कारण है |

1. **भौगोलिक कारण** :- भारत का विस्तार व विविधता
2. इसके ऐतिहासिक कारण:- उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रस्ताव को देखा जा सकता है । यह अधिनियम बहु तविस्तृ तथा ।
3. जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान ।
4. संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व
5. अनुसूचितजातियों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था
6. आर्टिकल 14:- रूल ऑफ लॉ कानून के समक्ष समानता सभी व्यक्ति समान है। कानून गरीब अमीर महिला पुरुष में कोई भेद नहीं करेगा ।
7. आर्टिकल 15 :- सार्वजनिक स्थल पर सभी का समान अधिकार :- सिनेमाघर, तालाब, कुं ए, सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध है । जाति धर्म नस्ल के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

8. आर्टिकल 16 :- रोजगार के समान अवसर सभी को उपलब्ध होंगे । परंतु यदि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है तो यह आर्टिकल 16 अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होगा ।

अंबेडकर ने अपनी पुस्तक " गांधीजी व अछूत विमुक्ति " में लिखा है । मेहनतकश जातियों की आरक्षण की मांग के पीछे आशय यह है कि शासक जातियों के अधिकारों पर सीमा लगाई जाए। जिसके रहते हुएवे सरकारी तंत्र पर नियंत्रण कर लेते हैं । वास्तविकता यह है कि आरक्षण वही चीज है जिसे अमेरिकन निगरानी व नियंत्रण कहते हैं । जो प्रत्येक संविधान में रहना आवश्यक है । जिस से लोकतंत्र के शत्रु उस पर काबिज हो कर ना बैठ जाएं । भारत की मेहनतकश जातियों द्वारा की जा रही मांग और अमेरिका के निगरानी व नियंत्रण लागू करने के दो मापदंड हो सकते हैं। पहला यह कि राजनीतिज्ञ संविधान और देश की सामाजिक संस्थाओं में तालमेल हो तभी वास्तविक लोकतंत्र बच सकता है । दो देशों के बीच सामाजिक प्रथाएं भिन्न है तो वहां निगरानी और नियंत्रण का मापदंड भी भिन्न रखना होगा। उदाहरण के लिए जो देश जात पात की व्यवस्था से ग्रस्त हैं । वहां उन देशो से भिन्न निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है। जहां सामाजिक लोकतंत्र की भावना मौजूद है। दूसरी बात यह है कि अधिकार संपन्न शासक वर्ग के दमन से बचाने के लिए मेहनतकश जातियों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाए । कुछ देशों में मेहनत कश वर्गों के लिए व्यस्क मताधिकार की काफी है । जिससे वह प्रशासक वर्ग से स्वंय सुरक्षित रह सकते हैं । भारत में अन्य देशों के विपरीत शासक जातियां सर्वशक्तिमान और इतनी सर्वव्यापी है कि व्यस्क मताधिकार के साथ-साथ अन्य उपाय भी आवश्यक है । ताकि वे शासक जातियों के शोषण से बची रह सके ।

" मनु से पहले स्त्री स्वतंत्र थी और पुरुष के समान भागीदार थी मनु ने उसे उस स्थिति से क्यों गिरा दिया "

" हिंदू नारी का उत्थान और पतन " :- डॉक्टर बी आर अंबेडकर . सम्यक प्रकाशन

" औरत की आजादी धर्म के लिए हमेशा ही एक खतरा रही है "

डॉक्टर बी आर अंबेडकर .

महिलाओं के अधिकार :- सन 1927 मई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था | बाबासाहेब ने संविधान के द्वारा महिलाओं को अधिकार दिए हैं |जो मनु समृति ने नकारे थे | हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं का स्थान और नियम कानून महिलाओं के हक में नहीं है | इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए |

महिलाओं को और अधिक अधिकार देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया | डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएंगे | शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी | बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को सारे अधिकार दिए हैं | लेकिन अकेला संविधान या कानून लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकता | लेकिन परिवर्तन की राह तो सुगम बनाता ही है | दरअसल हिंदू कोड बिल पास कराने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर की इच्छा ऐसी बुनियादी सिद्धांत स्थापित करने की थी जिन का उल्लंघन दंडनीय अपराध बन जाए | मसलन स्त्रियों के लिए तलाक का अधिकार, हिंदु कानून के अनुसार एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध, वह विधवा तथा अविवाहित कन्याओं का पिता या पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हक । उनका मत था कि हिंदू कानून में अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी जाए। उनका दृढ़ मत था की स्त्रियां जातिवाद का प्रवेश द्वार है और हिंदू कोड बिल महिलाओं को परंपरिक बंधनों से मुक्ति दिलाने की एक और उठाया गया ऐसा कदम था जो कि जो हिंदू समाज को जाति वह लिंग से पैदा हुईअसमानता से मुक्त करा सकता था । डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचितजाति और अनुसूचितजनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं वह सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए समर्थन भी हासिल किया ।

" अधिकार तभी वास्तविक होते हैं जब उनके साथ साथ उनके पालन के उपायों की भी व्यवस्था हो " राज्य और अल्पसंख्यक :- डॉक्टर बी आर अंबेडकर

अल्पसंख्यक व बाबा साहब :- 1947 में अल्पसंख्यकों की मीटिंग में सरदार पटेल की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया की सभी जातियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए । इस में सिक्खों के , पारसियों के , ईसाइयों के , मुसलमानों के , अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे । सरदार पटेल के प्रस्ताव का डॉक्टर अंबेडकर जो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि थे को छोड़कर सभी ने समर्थन किया । क्योंकि सरदार पटेल ने आश्वासन दे रखा था कि स्वतंत्र भारत में सभी का हिस्सा होगा । डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गत कई वर्षों से सारे ही अल्पसंख्यको के लिए आरक्षण था। उनके कारण अल्पसंख्यक पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिली । अब आरक्षण को हटा लेने से इन लोगों में से शिक्षित लोगों की मनोवृत्ति का पता नहीं लगेगा । ऐसा समय भी आएगा जब वे शिक्षित लोग अप्रत्यक्ष रूप से रूप भूमिगत हो जाएंगे और बहू संख्यक के विरुद्ध विद्रोह करेंगे । अगर ऐसा हुआ तो वह देश की भलाई के लिए बड़ा ही हानिकारक होगा । डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिमों के आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद भारत में केवल 4% मुस्लिम रहेंगे वे 96 प्रतिशत के सामने भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे । अगर उनके लिए आरक्षण नहीं रहा तो वह भूमिगत हो जाएंगे और देश के विरुद्ध ही सोचेंगे । लेकिन सरदार पटेल ने मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग को अस्वीकार कर दिया । इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में मुसलमान सुखी नहीं रहेगा। वह गुलाम ही रहेगा व भारत में वह दूसरे दर्जे का भागीदार बनेगा ।

" जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ वह दूसरे को नीच बनाए रखें वह धर्म नहीं
गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है " | डॉक्टर बी आर अंबेडकर

धर्म परिवर्तन व अंबेडकर :- अंबेडकर के शब्दों में मेरे जीवन में जो विभिन्न घटनाएं घटी हैं वह यह सिद्ध करने के लिए प्रयाप्त है कि मुझे धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए । जिस समाज में मानवता नहीं है, मानवता का कोई महत्व नहीं है। उस समाज में बेमतलब अपमान सहते हुए जीवन जीने का क्या मतलब है । जो इस तरह के निर्दयी और क्रूर धर्म में रहता है वह गुलाम है । जिन्हें मानवता के साथ जीना है उन्हें इस शैतानी धर्म में नहीं रहना चाहिए । मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में रहे परंतु हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था ।उनके धर्म में शस्त्र धारण करने की इजाजत नहीं थी । मैं उच्च शिक्षा में संस्कृत भाषा सीखना चाहता था ।लेकिन धार्मिक बन्धनों के कारण यह संभव ना हो सका था। परंतु अब हमारे लिए शिक्षा प्राप्त करना तथा धन कमाना शस्त्र धारण करना संभव हो गया है । हिंदू धर्म में रहने पर तुम्हें गुलाम से अधिक का दर्जा नहीं मिलेगा । " अपने मिट्टी में मिले जीवन को सोने के दिन प्राप्त हो " इसलिए मुझे धर्म परिवर्तन की जरूरत महसूस होने लगी है ।

" 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों में प्रवेश करने जा रहे हैं " भारत में राजनीतिक समानता की व्यवस्था तो है , किंतु अभी सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं शेष है इस विषय की को शीघ्र शीघ्र दूर किया जाए वरना वह लोग जो सताए जा रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे " ।

यह चेतावनी ऐसे महापुरुष द्वारा दी गई थी जिसका तत्कालीन समय में कोई सानी नहीं था । ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर की दूरदृष्टिही थी कि चारों और राजनीतिक व सामाजिक शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी उन्होंने भारत के करोड़ों दलितों वंचितों की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु एक दस्तावेज तैयार किया था । लेकिन यथास्थिति वादी एवं रुढ़ीवादी लोगों पर बाबा साहब की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ ।सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र जो किसी भी देश के राजनीतिक लोकतंत्र का आधार होता है नदारद है ।

पुस्तक सन्दर्भ :- गांधी और अछूत विमुक्ति :- डॉक्टर बी आर अंबेडकर सम्यक प्रकाशन
राज्य और अल्पसंख्यक :- डॉक्टर बी आर अंबेडकर सम्यक प्रकाशन

हिंदू नारी का उत्थान और पतन : - **डॉक्टर बी आर अंबेडकर सम्यक प्रकाशन**
भारत की राजव्यवस्था : - **एम लक्ष्मीकांत**
भारत का संविधान :- **डॉक्टर बी आर अंबेडकर**
डॉक्टर बी आर अंबेडकर के प्रेरक भाषण भाग-2 :- **विनय कुमार वासनिक सम्यक प्रकाशन**
युगपुरुष बाबासाहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जीवन संघर्ष राष्ट्र सेवाएं :- **शंकरानन्द शास्त्री सम्यक प्रकाशन**